



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन अनज्ञप्ति

LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION



अनुज्ञप्ति सं. क्यूएमएस/डबल्यूआरओ/एल- 2023055140.0 Licence No. QMS/WRO/L-2023055140.0

ब्युरो, भारतीय मानक ब्युरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के नाते निम्नलिखित को मंजूरी देता है: By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby grants to:-

मे. कार्यालय प्रबंध निदेशक.

M/s Office of The Managing Director,

वन विकास निगम महाराष्ट्र लिमिटेड Forest Development Corporation of Maharashtra Limited

एफडीसीएम भवन, 359/बी, हिंगना रोड, FDCM Bhavan, 359/B, Hingana Road,

अंबाझरी, नागपुर - 440 036, महाराष्ट्र Ambazari, Nagpur - 440036, Maharashtra

(जिसे इसमें इसके पश्चात इसे अन्जप्तिधारी कहा गया है) इस अन्सूची में वर्णित विशेष तौर पर उत्पाद एवं/ या सेवाओं की प्रक्रियाओं के संबंध में गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के अनुज्ञित्वधारकों की ब्यूरो की सूची में इस अनुज्ञित के अनुसार इसी संख्याधारक को अधिकार एवं अन्जप्ति सूचीबद्ध किया जाए। IS/ISO 9001:2015 के अनुसार गुणता प्रबंध प्रणाली के अधीन जकत दिए गए पते (पतों) पर केवल अन्जप्तिधारक द्वारा ऐसे उत्पाद एवं/ या सेवाओं या प्रक्रियाओं को निर्मित किया/ उपलब्ध कराया/ चलाया जायेगा।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's list(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with IS/ISO 9001:2015

अन्जप्ति उक्त अधिनियम एवं उनके अधीन नियमों तथा विनियमों के संबंधित उपबंधों की शर्त पर मंजूर किया गया है तथा उक्त संदर्भित अनुजन्तियों को इसके तहत शासित किया जाता है, तथा अनुजन्तिधारक उक्त नियमों एवं विनियमों का पालन किए जाने के लिए ब्युरो के प्रति प्रतिज्ञाबदध है।

The licence is granted subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह अनज्ञप्ति 07 फरवरी 2024 से 06 फरवरी 2027 तक विधिमान्य रहेगा तथा विनियमो में यथा निहित पुनःप्रमाणन दिया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 07 February 2024 to 06 February 2027 and may be recertified as prescribed in Regulations.

सन दो हजार चौबीस के अप्रैल माह के छब्बीसवें दिन हस्ताक्षरित/ म्हरांकित।

Signed, Sealed and dated this Twenty Sixth day of April Two Thousand Twenty Four.



Certification Expiry - N.A.

Certification Audit Date: 24-25 July 2023

Recertification Due Date: 06 Fcb 2027

भारतीय मानक ब्युरो के लिए

संजय गोस्वामी, उपमहानिदेशक (प.)

For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Sanjay Goswami, Deputy Director General (W)



MSC-F6.4-15 ISSUE 3 SEP 2022